

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए गठित आयोगों का समीक्षात्मक अध्ययन

अरविन्द कुमार आर्य

सहायक प्राध्यापक, आदिनाथ कालेज ऑफ एजुकेशन, महर्षि ललितपुर

सार— 15 अगस्त सन् 1947 को भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया और भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना । भारत को आजादी के लिए एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा । इसी प्रकार भारत में दी जाने वाली शिक्षा के भारतीयकरण में भी लम्बा समय लग गया और अब भी प्रयास निरन्तर जारी है। आजादी के पूर्व से भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे परन्तु अंग्रेजी शासन होने के कारण प्रयासों में सफलता का प्रतिशत पश्चात इन प्रयासों को सार्थकता प्राप्त हुई और भारत सरकार ने इन प्रयासों को धरातल पर लाने का प्रयास भी किया । इन्हीं प्रयासों का अध्ययन कर हम उन महान विद्वानों को जान सकेंगे जिन्होंने भारतीय शिक्षा को यहाँ तक पहुँचाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1948 में डॉ.राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सन् 1952 में , डॉ.मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा सन् 1964 में डॉ.कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। सन् 1968 तथा सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा सन् 1979 में तैयार की गई ड्राफ्ट शिक्षा नीति । सन 2017 में के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिन्होंने 2019 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया और 2020 , अगस्त को केन्द्रीय समिति ने इस पास कर दिया, स्वतंत्र भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

अध्ययन की आवश्यकता— स्वतंत्र भारत में सन 1947 के पश्चात विभिन्न शिक्षा आयोगों का गठन किया गया और संचालित शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित कर वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप बनाने के प्रयास किये गये ।इन आयोगों का अध्ययन करने से उनके व्यक्तित्व और संगठन को जान सकेंगे जो भविष्य के लिए सार्थक प्रयास किये जा सकेंगे।

अध्ययन का उद्देश्य— इस विषय पर अध्ययन का उद्देश्य गठित आयोगों का अध्ययन करना।

प्रस्तावना —

एक लम्बी गुलामी के पश्चात और लम्बे संघर्ष के बाद ब्रिटिश दासता से छुटकारा मिला और पन्द्रह अगस्त सन् 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ एवं छत्तीस जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ। आजादी के समय भारत के सामने अनेक चुनौतियाँ थी । स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने अनेक समस्याएँ थीं। इन अनेक समस्याओं में से एक समस्या शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन करने तथा शिक्षा के अवसरों का देश में विस्तार करने की भी थी। सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, अनपढ़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा का विस्तार करने, बालिकाओं, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने तथा मातृभाषा प्रशिक्षक भाषा व राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने जैसी अनेक चुनौतियाँ स्वतंत्र भारत सरकार के सामने थीं। भारतीय संविधान के लोक तंत्रीय शासन व्यवस्था में शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया तथा शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों को केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1948 में डॉ.राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सन् 1952 में , डॉ.मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा सन् 1964 में डॉ.कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। सन् 1968 तथा सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा सन् 1979 में तैयार की गई ड्राफ्ट शिक्षा नीति । सन 2017 में के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिन्होंने 2019 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया और 2020 , अगस्त को केन्द्रीय समिति ने इस पास कर दिया, स्वतंत्र भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। प्रस्तुत इकाई में स्वतंत्र भारत में गठित महत्वपूर्ण शैक्षिक आयोग एवं नीतियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों के दौरान शैक्षिक नीति में प्राथमिकताएँ स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात शिक्षा को एक राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया गया। स्वाधीन भारत में शैक्षिक इतिहास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। शिक्षा व्यवस्था को देश की नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों की घोषणा की गयी। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास व विस्तार के प्रयास किये गये, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया, माध्यमिक शिक्षा को बहु-उद्देशीय बनाने पर विचार किया गया, तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर में सुधार करने का प्रयत्न किया गया। इसके अतिरिक्त पिछड़े

वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं की शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) तथा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) का गठन किया गया। सन् 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई तथा सन् 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई जिसमें कतिपय संशोधन किये गये। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा एवं केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् (CABE) के द्वारा समय-समय पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समितियों तथा कार्यदलों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) ने स्कूल शिक्षा के सम्बन्ध में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अनेकानेक सार्थक प्रयास किये। राजनैतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, शिक्षा-शास्त्रियों, शिक्षकों तथा अन्य सुधीजनों ने भी समय-समय पर शैक्षिक सुधारों तथा शिक्षा को तदानुसार पुर्नगठित करने के सम्बन्ध में अपने-अपने मन्तव्य प्रस्तुत किये हैं। आज देश के सामने अनेक समस्याएँ हैं जिनका चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना करना न केवल देश की अस्मिता के लिए वरन इसके अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन लाकर राष्ट्र की अखण्डता तथा अस्मिता की रक्षा कर सकती है। यही कारण है कि विगत कुछ समय से देश में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही जा रही है। स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति व विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया गया तथा भारत में शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। परन्तु सन् 1950 में लागू किये गये भारतीय संविधान में कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर, शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था, इसलिए स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षों से शिक्षा की राष्ट्रव्यापी नीति तैयार करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरणों में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि शिक्षा व्यवस्था का सविस्तार पुनः निरीक्षण किया जाये जिससे शैक्षिक पुनः निर्माण के लिए ठीक ढंग से व्यवस्थित प्रयास किये जा सकें। सन् 1964 में भारत सरकार ने डॉ दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया जो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप तथा सभी स्तरों व पहलुओं पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धान्तों तथा नीतियों पर सरकार को सलाह दे सके। इस आयोग ने सन् 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य जारी करना चाहिए जिससे राज्यों तथा स्थानीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में शैक्षिक योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए मार्ग दर्शन मिल सके। आयोग ने सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम पारित करने की सम्भावना पर भी विचार करने के लिए कहा। आयोग की सिफारिशों पर पर्याप्त चर्चा हुई तथा विद्वानों, शिक्षाविदों तथा राजनैतिक नेताओं में एक मतव्य सा हो गया। तब सन् 1968 में भारत सरकार ने स्वीकार किया कि देश के आर्थिक व सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता तथा समाजवादी समाज के निर्माण में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा को मानव जीवन के निकट लाने के लिए शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण, शैक्षिक अवसरों के विस्तार के लिए लगातार प्रयत्न, सभी स्तरों पर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक प्रयास, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के निर्माण पर बल को इस पुर्न निर्माण में सम्मिलित करना होगा। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय सेवा तथा विकास के लिए दृढ़ संकल्प, चरित्रवान तथा योग्य युवक-युवतियों का निर्माण हो। तब ही शिक्षा राष्ट्रीय विकास को बढ़ाने नागरिकता व संस्कृति की भावना उत्पन्न करने, तथा राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने में अपना योगदान कर, सकती हैं विश्व के देशों में इस राष्ट्र को उसकी महान सांस्कृतिक विरासत तथा क्षमता के अनुरूप योग्य स्थान प्राप्त कराने के लिए यह आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को नये रूप से गठित करने का प्रयास शुरू किये गये। किसी भी देश के निर्माण में शिक्षा की महात्वपूर्ण भूमिका होती है।

राधाकृष्णन आयोग .-स्वतंत्रता के बाद बदलती दुनिया के साथ भारत को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता थी। स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के उद्देश्य तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुर्नगठन करने के लिए तत्कालीन भारत सरकार के मुखिया एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पं. जवाहरलाल नेहरूजी के 4 नवम्बर 1948 को डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में 10 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। आयोग में-

1. डॉ एस0 राधाकृष्णन (आयोग के अध्यक्ष),
2. डॉ तारा चंद,
3. डॉ जेम्स एफ0 डफ
4. डॉ जाकिर हुसैन,

5. डॉ अदर ई0 मार्गन
6. डॉ ए0एल0 मुदालियर,
7. डॉ मेघानंद साहा,
8. डॉ कर्म नारायन बहल,
9. डॉ जान टीग्रेट और
10. श्री निर्मल कुमार सिद्धांता
सम्मिलित थे।

माध्यमिक शिक्षा आयोग.(1952-53)-स्वतंत्र भारत के सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों के अनुकूल माध्यमिक शिक्षा के पुर्नगठन की आवश्यकता अनुभव की गयी। इस आवश्यकता को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1948 ई. में केंद्रीय शिक्षा परामर्श समिति की बैठक में अध्यक्षीय भाषण देते समय कहा , "इस समिति के जिस तराजू में शिक्षा संबंधी समस्याओं को मापा जाता था वह पुरानी हो चुकी है देश की समस्याओं का एक ही मापदण्ड में मापन नहीं किया जा सकता । नव भारत की नई इच्छाओं को नए दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा और इसकी समस्याओं के समाधान के लिए नए उपाय ढूढने होंगे । केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने सन् 1948 में भारत सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक नये आयोग का सुझाव प्रस्तुत किया जिसके परिणाम स्वरुप भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गयी। इस आयोग को मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जाँच कर उसके पुर्नगठन एवं सुधार के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना। मुदालियर आयोग में मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अतिरिक्त आठ सदस्य और भी थे।

1. श्रीमती हंसा मेहता (Mrs. HANSA MEHTA Vice-Chancellor, Baroda University)
2. डा. जे.के. तरपरवेला,(SHRI J. A. TARAPOREWALA Director of Technical Education Government of Bombay)
3. श्री के.एल. श्रीमाली,(Dr. K. L. SHRIMALI Principal, Vidya Bhavan Teachers' Training College, Udaipur)
4. श्री एम.टी.व्यास, (SHRI M. T. Vyas Bombay)
5. श्री के.जी.सैयदीन, (SHRI K. G. SAIYDAIN Joint Secretary to the Government of India Ministry of Education (Ex-officio Member)
6. जॉन खिरसी, (PRINCIPAL JOHN CHRISTIE Jesus College, Oxford)
7. डा.कीनेथ राबर्ट विलियम (DR. KENNETH RAST WILLIAMS Associate Director, Southern Regional Education Board, Atlanta (U.S.A.)
8. प्रिंसीपल ए.एन.बासु (PRINCIPAL A. N. BASU Central Institute of Education Delhi (Member-Secretary)

भारतीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग1964-66) – भारतीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता स्वतंत्र भारत में 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया । भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए इस आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें मील का पत्थर साबित हुईं। इस आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई 1964 को की गई। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 14 अन्य सदस्य भी थे जिनमें 9 भारतीय और 5 विदेशी थे। आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 को देश के राष्ट्रपति श्री डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन डी.एस. कोठारी जो तत्कालीन यू.जी.सी. के अध्यक्ष थे, की अगुआई में हुआ। डी.एस. कोठारी के अतिरिक्त इस आयोग में 16 और सदस्य थे जिन्होंने अपनी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य सम्पादित किया जिनका विवरण निम्न सारणी बद्ध किया गया है –

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पद	कार्यपद
1	डी.एस. कोठारी (D.S. Kothari)	चैयर मैन	U.G.C. Chairman
2.	जे.पी.नाइक (J. P. Naik)	सदस्य सचिव	Head, Dept of Edu. Planning, Admn and Finance Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune

3.	जे.एफ. मैकडूगल (J.F.McDougall)	सहायक सचिव	Assistant Director, Department of School and Higher Education, UNESCO, Paris
4.	ए.आर.दावूद (A. R. Dawood)	सदस्य	Director, Extension Programmes for Secondary Education, New Delhi.
5.	एच.एल.एलविन (H. L. Elvin)	सदस्य	Director, Institute of Education, University College of London
6.	आर.ए.गोपालास्वामी (R.A. Gopaldaswami)	सदस्य	Director, Institute of Applied Manpower Research, New Delhi
7.	वी.एस. जॉ (V. S. Jha)	सदस्य	Director of the Commonwealth Education Liaison Unit, London
8.	पी.एन.कृपाल (P. N. Kirpal)	सदस्य	Educational Adviser to the Government of India
9.	एम.वी. माथुर (M.V Mathur)	सदस्य	Professor, Economics and Public Administration, University of Rajasthan India
10.	बी.पी.पाल (B.P.Pal)	सदस्य	Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi
11.	कुमार एस. पाननदीकर Kum.S.Panandikar	सदस्य	Head of the Department of Education, Karnataka University, Dharwad India
12.	रोजर रिवेली (Roger Revelle)	सदस्य	Dean of Research, University of California, USA
13.	के.जी. सैय्यादीन (K.G. Saiyidain)	सदस्य	Educational Adviser to the Government of India
14.	टी.सेन (T. Sen)	सदस्य	Rector, Jadavpur University, Calcutta India
15.	जॉन थामसन (Jean Thomas)	सदस्य	Inspector General of Education, France, and formerly Assistant Director-General of UNESCO
16.	एस.के.सुम्वास्की (S.A.Shumovsky)	सदस्य	Director, Methodological Division, Ministry of Higher and Special Secondary Education, RSFSR, Moscow
17.	सदातोसी इहारा (Sadatoshi Ihara)	सदस्य	Professor of the First Faculty of Science and Technology, Waseda University, Tokyo

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 (National Curriculum Framework 2005)

“लोकतंत्र, प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में सम्मान व योग्यता में आस्था पर आधारित होता है, अतः लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण व चहुँमुखी विकास करना है – अर्थात् एक ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों को एक समुदाय में जीने की बहुआयामी कला में दीक्षित करे। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अकेले न तो रह सकता है न ही विकसित हो सकता है। उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं जो अपने साथी नागरिकों के साथ षालीनता, सामंजस्य, कार्यकुशलता के साथ जीने की षैली के लिए आवश्यक गुणों को पोषित न करती हो।” –माध्यमिक शिक्षा आयोग

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय षिक्षा परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान मे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यषपाल की अध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया जिसमें 35 सदस्य थे जो निम्न है—

1. प्रो. यशपाल (अध्यक्ष) पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
2. आचार्य राममूर्ति अध्यक्ष श्रम भारती, खादीग्राम पोस्ट – खादीग्राम जिला – जमुई – 811313 बिहार ।
3. डॉ. शैलेश ए. शिराली प्राचार्य अंबर वैली रेसीडेंशियल स्कूल के.एम. रोड, मुगथीहल्ली चिकमगलूर – 577101 कर्नाटक ।
4. श्री रोहित धनकर निदेशक दिगंतर, टोडी रमजानीपुरा खोनागोरियन रोड पोस्ट – जगतपुरा जयपुर – 302025 राजस्थान

5. श्री पोरामेश आचार्य (पूर्व सदस्य – शिक्षा आयोग, पश्चिम बंगाल) एल/एफ 9, कुस्थिया रोड गवर्नमेंट हाउसिंग इस्टेट अवंतिका आवासम कोलकाता – 700039 पश्चिम बंगाल ।
6. डॉ. मीना स्वामीनाथन मानद निदेशक उत्तरादेवी सेंटर फॉर जेंडर एंड डेवलपमेंट एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन तीसरा क्रॉस रोड तारामनी इंस्टीट्यूशनल एरिया चेन्नई – 600113 तमिलनाडु ।
7. डॉ. पदमा एम. सारंगपाणि एशोसिएट फ़ैलो राष्ट्रीय उच्चतर अध्ययन संस्थान बेंगलुरु – 560012 कर्नाटक ।
8. प्रो. आर. रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैथेमैटिकल साइंस चौथा क्रॉस, सी.आई.टी. कैंपस राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्य थारामनी, चेन्नई – 600113 तमिलनाडु ।
9. प्रो. अनिल सदगोपाल (शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) ई-8/29 ए, सहकार नगर भोपाल – 462039 मध्य प्रदेश ।
10. प्रो. जी. रविन्द्रा प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एन.सी.ई.आर.टी.) मानस गंगोत्री मैसूर – 570006 कर्नाटक ।
11. प्रो. दमयंती जे. मोदी (पूर्व विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, भावनगर विश्वविद्यालय) 2209, ए/2, आनंदधारा बदोदरिया पार्क के नज़दीक, हिल ड्राइव भावनगर – 364002, गुजरात ।
12. सुश्री सुनीला मसीह शिक्षिका मित्र जी.एच.एस. स्कूल सोहागपुर, पोस्ट जिला – होशंगाबाद – 461771 मध्य प्रदेश ।
13. सुश्री हर्ष कुमारी मुख्याध्यापिका सी.आई.ई. एक्सपेरिमेंटल बेसिक स्कूल शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली – 110007
14. श्री त्रिलोचन दास गर्ग प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, भटिंडा – 151 001 पंजाब ।
15. प्रो. अरविंद कुमार, केन्द्र निदेशक होमी भाभा सेंटर फोर साइंस एजुकेशन वी.एन. पुराव मार्ग, मानखुर्द मुंबई – 400088 महाराष्ट्र ।
16. प्रो. गोपाल गुरु, सेन्टर फॉर पोलिटिकल स्टडीज सामाजिक विज्ञान संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नयी दिल्ली – 110067 ।
17. डॉ. रामचन्द्र गुहा 22 ए, ब्रन्टन रोड बेंगलुरु – 560025 कर्नाटक ।
18. डॉ. बी.ए. डाबला प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष सामाजिक कार्य और समाजशास्त्र विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर – 190006 जम्मू और कश्मीर ।
19. श्री अशोक वाजपेयी (पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय) सी-60, अनुपम अपार्टमेंट्स बी-13, वसुंधरा एंक्लेव दिल्ली – 110096 ।।
20. प्रो. वाल्सन थाम्पु सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जी-3, प्रशासनिक ब्लॉक तीस हजारी दिल्ली – 110054
21. प्रो. शांता सिन्हा निदेशक एम. वेंकटरंगैया फाउंडेशन 201, नारायण अपार्टमेंट्स वेस्ट मैरेडपल्ली, सिकंदराबाद – 500026 आंध्र प्रदेश ।
22. डॉ. विजया मूले संस्थापक प्राचार्या, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, एन.सी.ई.आर.टी.अध्यक्ष, इंडिया डॉक्यूमेंटरी प्रोजेक्ट्स एशोसिएशन बी 42, फ्रैंड्स कॉलोनी (पश्चिम) नयी दिल्ली – 110065
23. प्रो. मृणाल मीरी कुलपति, नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी पोस्ट – नेहू कैंपस माउक्यानरोह उमशिंग शिलांग – 793022 मेघालय ।
24. प्रो. तलत अज़ीज़ आई.ए.एस.ई. शिक्षा निकाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया नगर, नयी दिल्ली – 110025
25. प्रो. सविता सिन्हा विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
26. प्रो. के.के. वशिष्ठ विभागाध्यक्ष, डी.ई.ई. एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
27. डॉ. संध्या परांजपे रीडर, डी.ई.ई. एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
28. प्रो. सी.एस. नागराजु विभागाध्यक्ष, डी.ई.आर.पी.पी.एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
29. डॉ. ज्योत्सना तिवारी प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस.एच.एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
30. प्रो. एम. चन्द्रा विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एम. एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
31. डॉ. अनिता जुल्का प्रवाचक, डी.ई.जी.एस.एन.एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली – 110016 ।
32. प्रो. कृष्ण कुमार निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
33. श्रीमती अनिता कौल सचिव एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
34. श्री अशोक गांगुली अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र, 2, कम्प्युनिटी सेंटर प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
35. प्रो. एम. ए. ख़ादर (सदस्य सचिव) विभागाध्यक्ष, पाठ्यचर्या समूह एन.सी.ई.आर.टी. श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली – 110016

इस समिति के अतिरिक्त 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का भी गठन किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 को बनाने का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्कालीन निदेशक प्रो० कृष्ण कुमार के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कुल 5 अध्याय है। इस समिति ने पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने एवं रटन प्रणाली से मुक्ति दिलाने एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और लिंग तथा जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की कही गई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

बदलते हुये दुनिया के परिवेश के साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता है। किसी भी देश में परिवर्तन लाने के लिये देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता होती है। आज, वर्तमान में हमारे देश में इस आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुये तत्कालीन भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करने का प्रयास सन 2017 में प्रारम्भ किया और मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावेडकर ने इसरो के भूतपूर्व चेयरमैन श्री के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया एवं उन्हें यह दायित्व सौंपा गया। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट तैयार करने का इस समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य और सम्मिलित किये गये –

1. बसुधा कामत, पूर्व वाइस चांसलर एस.एन.डी.टी. वूमन युनीवर्सिटी मुम्बई,।
2. के.जी. एलेफोन्स,।
3. मंजुल भार्गव संस्थापक प्रिंसिपल विश्वविद्यालय प्रिंसिपल यू.एस.ए.,।
4. राम शंकर कुरील भूतपूर्व संस्थापक एप कुल सचिव बाबा साहिब अवेडकर सोसल साइंस विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश,।
5. टी.वी. कहीयानी कुल सचिव, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश,।
6. कृष्णा मोहन त्रिपाठी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एण्ड भूतपूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश,।
7. मजहर आसिफ प्रवक्ता, Cent of Persion and cantral asian studier school of Language Literature and culuse syudier JNU New Delhi.
8. एम.के श्रीधर भूतपूर्व सचिव सदस्य कर्नाटका नालेज कमीशन बैंगलूर कर्नाटक,।
9. राजेन्द्र प्रताप गुप्ता भूतपूर्व सलाकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार,।
10. शकीला टी.सम्सू OSD (NEP) उच्च शिक्षा मानव विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।

इन चुने हुये सदस्यों ने लगन एवं अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुये नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 तक तैयार कर दिया। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। 2021 से इसे लागू करने का निर्णय लिया गया एवं 2030 तक पूर्ण रूप से सभी सुधारों को लागू करने की समय सीमा तय की गयी। आने वाला भविष्य ही बतलायेगा कि हम इसको लागू करने में कितने सफल हुए। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में नई शिक्षा नीति हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़ेगी एवं बदलते आधुनिक परिवेश को अपने में समाहित करने का मार्ग प्रसस्त करेगी।

उपरोक्त शिक्षा आयोगों ने भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करने के प्रयास में अपना सहयोग प्रदान किया। इन आयोगों के द्वारा दिये गये सुझावों को तत्कालीन भारत सरकारों ने स्वीकार किया और भारतीय शिक्षा प्रणाली को तत्कालीन और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति योग्य बनाने का प्रयास किया। यह प्रयास अभी भी नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में जारी है। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से देश के गौरवशाली अतीत को पाने के साथ साथ शिक्षा को व्यवसायिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों को उनके कौशल के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

संदर्भ सूची-

1. जैन.डा० रोहित कुमार "आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार" HSRA Publication 2021
2. स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित शिक्षा आयोग – डा० रोहित कुमार HSRA Publication 2020.
3. अल्तेकर ए. एस. "एजुकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया"
4. मुखर्जी आर. के. "एजुकेशन इन एन्शियेण्ट इण्डिया". पृ. 55-56
5. बाशम ए. एल. "अद्भूत भारत" पृ. 193